[2022] 1 एस.सी.आर. 148

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम

बनाम

दिलीप उत्तम जयभाय

(नागरिक अपील संख्या 7403 / 2021)

03 जनवरी , 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नगराथ्ना, न्यायमूर्तिगण]

*महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन की मान्यता और अन्यायिक श्रम प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम 1971: विभागीय कार्रवाई - प्रतिवादी-चालक के खिलाफ दुराचार साबित हुआ कि उसने वाहन को अव्यवस्थित और लापरवाही से चलाया, जिसके कारण दुर्घटना घटी जिसमें चार लोग मारे गए - अनुशासनिक प्राधिकृत ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया- श्रम अदालत ने अदालत द्वारा पास किए गए दोषमुक्ति के आदेश सहित अभिलेखपर पूरे सबूत को पुनः मूल्यांकन करके और स्पष्ट कारण देने के बाद बर्तर्फ करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। श्रम न्यायालय ने स्पष्ट कारणों को देकर और पूरे सबूतों की पुनः मूल्यांकन करते हुए, जिसमें आपराधिक अदालत द्वारा पारित बरी करने का आदेश भी शामिल था, बर्खास्त करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया - हालांकि, औद्योगिक न्यायालय ने अनुशासनिक प्राधिकृत द्वारा दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया, जिसमें दुराचार साबित हुआ था, लेकिन केवल इस आधार पर बर्खास्त करने के आदेश में हस्तक्षेप किया कि दुराचार में साबित होने के लिए बर्खास्ती की सजा असंतुलित थी और यह 1971 के अधिनियम के अनुसूची-IV के मद्दे नं।1(जी) के अनुसार अनुचित श्रम प्रथा थी। - इसे उच्च अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया – अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: जांच अधिकारी की निष्कर्ष और श्रम अदालत और औद्योगिक अदालत द्वारा पारित आदेश ने दिखाया कि प्रतिवादी-श्रमिक , गाड़ी को इतनी अधिक गति और लापरवाही से चला रहा था कि जिसके कारण दुर्घटना हुई जिसमें चार लोग मारे गए - जबकि आईपीसी की धाराओं 279 और 304(**ए**) के तहत मुक़दमे में उत्तराधिकारी चालक को बरी करते समय, आपराधिक अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि अभियोजन ने यह साबित करने में विफल रहा था कि घातक घटना केवल प्रतिस्पर्धी की उदार और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से ही हुई थी और किसी और की नहीं - इसलिए, यहां तक कि यदि मान लिया जाए*

कि जीप के चालक भी लापरवाह थे, तो कहा जा सकता है कि यह योगदानकर्ता लापरवाही की स्थिति है - इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिस्पर्धी-श्रमिक बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थे- इसलिए, यह उसे दुराचार से मुक्त नहीं करता - कानून के मुख्य सिद्धांत के अनुसार आपराधिक मुकदमे में दोषमुक्ति का अनुशासनिक कार्रवाई पर कोई प्रभाव या संबंध नहीं है क्योंकि दोनों मामलों में सबूत का मानक अलग है और कार्रवाई अलग क्षेत्रों में और अलग उद्देश्यों के साथ कार्य करती है -इसलिए, औद्योगिक अदालत ने आपराधिक अदालत द्वारा प्रतिस्पर्धी के दोषमुक्ति पर अधिक जोर देने में गलती की - 1971 के अधिनियम की अनुसूची-IV की धारा नं. 1(जी) को लागू करते हुए, इसे नहीं कहा जा सकता कि प्रतिस्पर्धी की नौकरी से बर्खास्ती एक सूक्ष्म या तकनीकी प्रकृति की दुराचार के लिए थी, बिना दुराचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए- प्रतिस्पर्धी की पिछली सेवा की अभिलेखको भी औद्योगिक अदालत ने ध्यान में नहीं लिया।- प्रतिवादी के मामले के अनुसार, प्रतिस्पर्धी-श्रमिक तीन साल तक सेवा में थे और तीन साल की सेवा के दौरान उन्हें चार बार सजा दी गई - इसलिए, इसे नहीं कहा जा सकता कि प्रतिस्पर्धी की सेवा के पिछले अभिलेखको ध्यान में रखते हुए बर्खास्ती का आदेश था - इसलिए, मामले की तथ्यों और परिस्थितियों में, औद्योगिक अदालत ने 1971 के अधिनियम की अनुसूची-IV की धारा नं. 1(जी) को गलत तरीके से लागू किया, और बर्खास्ती के आदेश में गलत तरीके से हस्तक्षेप किया।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत

अभिनिर्धारित: किया: 1. विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष और श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालय द्वारा पास किए गए निर्णय और आदेश और साथ ही आपराधिक न्यायालय द्वारा पास किए गए दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश से पता चलता है कि जब प्रतिवादी वाहन चला रहा था, तो एक दुर्घटना हुई जो विपरीत ओर से आ रहे जीप से हुई और उस दुर्घटना में चार लोग मारे गए। अभिलेखपर सामग्री से यह प्रकट होता है कि विपरीत दिशा से आने वाली जीप के साथ दुर्घटना का प्रभाव ऐसा था कि जीप को 25 फीट पीछे धकेल दिया गया। उपर्युक्त तथ्यों से यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी - श्रमिक उस वाहन को इतनी अधिक गति और असावधानी से चला रहा था की जिसके कारण दुर्घटना हुई जिसमें चार लोग मारे गए। भले ही धारा 279 और 304(ए) के तहत मुकदमा चल रहे प्रतिवादी-चालक को दोषमुक्त करते समय, आपराधिक न्यायालय ने निरीक्षण किया कि अभियोजन ने यह साबित करने में विफल रहा कि घटना अभियुक्त के असावधानीपूर्ण और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई थी।- यहाँ प्रतिवादी ही है और कोई और नहीं। इसलिए, अच्छा होगा कि यह भी

मान लिया जाए कि जीप का चालक भी लापरवाह था, इसे सहायक लापरवाही का मामला कहा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिवादी-श्रमिक बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था। इसलिए, यह उसे क़सूर से मुक्त नहीं करता है। [अनुच्छेद 10.2]

2.1 श्रम न्यायालय ने आपराधिक न्यायालय द्वारा पास किए गए दोषमुक्ति के आदेश को विस्तार से परिवेशित किया और प्रतिवादी-श्रमिक की ओर से की गई योगदानों से सहमत नहीं हुआ कि चूंकि उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था, वह अनुशासनिक प्रक्रिया में दोषी माना नहीं जा सकता अपराधिक अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश से भी यह प्रतीत होता है कि अदालत ने गवाहों की द्वेषभावना; हितग्राही गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य; जाँचकर्ता अधिकारी की परीक्षा में दोष; घटना की स्थल पंचनामा के लिए पंच आदि पर आधारित होकर उत्तरदाता को बरी कर दिया। इसलिए, अपराधिक अदालत ने तय किया कि अभियोजन ने उत्तरदाता के खिलाफ मामले को समझाने में विफल रही है। उल्टा, विभागीय प्रक्रिया में वाहन को असावधानीपूर्ण और लापरवाही से चलाने की अव्यवस्था जिससे दुर्घटना हुई और जिसके कारण चार लोग मारे गए, वह स्थापित और साबित हुआ है। कानून के मुख्य सिद्धांत के अनुसार, एक आपराधिक परीक्षण में दोषमुक्ति का अनुशासनिक प्रक्रिया पर कोई प्रभाव या संबंध नहीं है क्योंकि दोनों मामलों में प्रमाण का मानक अलग है और प्रक्रियाएँ अलग-अलग क्षेत्रों में और अलग-अलग उद्देश्यों के साथ कार्य करती हैं।इसलिए, औद्योगिक न्यायालय ने आपराधिक न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के दोषमुक्ति पर अधिक जोर देने में गलती की है। अन्यथा भी ध्यान देने योग्य है कि औद्योगिक न्यायालय ने अनुशासनिक प्राधिकृत द्वारा दर्ज निष्कर्षों के साथ हस्तक्षेप नहीं किया है जिसमें आरोप और अव्यवस्था को विभागीय जाँच में साबित किया गया है, और केवल इस आधार पर बर्खास्ती की सजा में हस्तक्षेप किया है कि यह अत्यंत असंतुलित है और इसलिए एमआरटीयू और पी.यू.एल.पी अधिनियम, 1971 के अनुसूची-IV की धारा नं. 1(जी) के अनुसार अनुचित श्रम प्रथा कही जा सकती है। [अनुच्छेद 10.3, 10.4]

2.2 एमआरटीयू और पी.यू.एल.पी अधिनियम, 1971 की अनुसूची-IV की धारा नं. 1(जी) को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी की बर्खास्ती छोटी या तकनीकी प्रकृति की अव्यवस्था के लिए थी, अव्यवस्था की प्रकृति की ओर ध्यान नहीं देते हुए। प्रतिवादी - श्रमिक को विशेष आरोप और विशेष अव्यवस्था के लिए दोषी माना गया है। प्रतिवादी की पिछली सेवा का अभिलेख भी औद्योगिक न्यायालय द्वारा ध्यान

में नहीं लिया गया है। अपीलकर्ता - एमएसआरटीसी के मामले में प्रतिवादी - श्रमिक तीन साल सेवानिवृत्त थे और तीन साल की सेवा की अवधि में उसे चार बार सजा दी गई थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि बर्खास्ती का आदेश प्रतिवादी की सेवा के पिछले अभिलेख को ध्यान में रखते हुए बिना किया गया था। इसलिए, मामले की तथ्य और परिस्थितियों में, औद्योगिक न्यायालय ने गलत तरीके से एमआरटीयू और पी.यू.एल.पी अधिनियम, 1971 की अनुसूची-IV की धारा नं. 1(जी) को लागू किया। [अनुच्छेद 10.5]

3 . अन्यथा भी, जब विभागीय जाँच में विशेष रूप से पाया गया है कि चालक - प्रतिवादी के ओर से अव्यवस्थित और लापरवाह ड्राइविंग के कारण दुर्घटना हुई जिसमें चार लोग मारे गए, जब बर्खास्ती की सजा लागू की जाती है, तो इसे अत्यंत असंतुलित सजा कहा नहीं जा सकता विभागीय प्रक्रिया में प्रत्येक पहलु में विचार किया गया है। औद्योगिक न्यायालय ने भी विभागीय प्रक्रिया में जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया है। इसलिए, मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, औद्योगिक न्यायालय ने भारी गलती की है और अनुशासनिक प्राधिकृत द्वारा पास किए गए बर्खास्ती के आदेश में हस्तक्षेप करते समय अपनी अधिकारक्षेत्र में अतिक्रमण किया है, जिसे श्रम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था।[अनुच्छेद 10.1]

4. यह भी ध्यान देने योग्य है कि औद्योगिक न्यायालय के सामने प्रतिवादी- श्रमिक - चालक ने स्वीकार किया कि बर्खास्ती के आदेश के बाद उसे लाभकारी रूप में रोजगार मिला है। इसलिए भी सेवा में पुनः स्थापित करना और सेवा का निरंतरता सहित पुनरावृत्ति उचित नहीं था। । उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों में भी अपीलकर्ता को 01.11.2003 से 31.05.2018 तक के अवधि के लिए प्रतिवादी-श्रमिक को वेतन देने का निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका में पास नहीं किया जा सकता था। यह श्रमिक -प्रतिवादी द्वारा दायर की गई याचिका नहीं इसलिए, अन्यथा भी आलोचित निर्णय और आदेश के पैरा 8 में जारी किए गए दिशानिर्देश कायम नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि वह उच्च न्यायालय के सामने विवाद के दायरे और सीमा से परे हैं। [पैरास 12, 13]

समर बहादुर सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य **(2011) 9 SCC 94 : [2011] 11 SCR136;** *भारतीय संघ और अन्य बनाम सीताराम मिश्रा एवं अन्य* **(2019) 20 SCC 588 - संदर्भित किया गया।**

मामला कानून संदर्भ

[2011] 11 SCR 136	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 5.2 में**
(2019) 20 SCC 588	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 5.2 में**

सिविल अपीलीय अधिकारिकता: सिविल अपील संख्या 7403/ 2021

उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण से दिनांक 23.01.2020 के निर्णय और आदेश पर जो मुंबई में रिट याचिका संख्या 8401/ 2003 में पास किया गया।

मिस मयूरी रघुवंशी, व्योम रघुवंशी, मिस पूर्वत वाली, वकील, अपीलकर्ता के लिए।

निशांत पाटिल, मिस मालविका कला, वकील, प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय प्रदान किया गया था।

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति।

1. आलोचित निर्णय और 23.01.2020 के आदेश से संतुष्ट नहीं होकर, जो बॉम्बे की उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 8401 के 2003 में पारित किया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने उस रिट याचिका को खारिज कर दिया था जो अपीलकर्ता - महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (जिसे आगे "MSRTC" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने किया था, जिसमें इसने औद्योगिक अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी, जो संशोधन आवेदन (ULP) संख्या 13 के 2002 में हुआ था, जिसमें प्रतिवादी की पुनर्स्थापना को बिना पिछले वेतन के

लेकिन सेवा की निरंतरता के साथ निर्देशित किया गया था, मूल रिट याचिकाकर्ता - एमएसआरटीसीने वर्तमान अपील की है।

2. प्रतिवादी यहाँ पर एक चालक के रूप में सेवानिवृत्त थे और यात्री बसें चला रहे थे। 23.10.1992 को जब वह बस चला रहे थे, तो उसका सामना उलटी दिशा से आ रही एक जीप से दुर्घटना हो गई। प्रतित होता है कि बस को बाएं तरफ ले जाने की जगह, वह बस को अत्यधिक दाहिनी ओर ले गए जो गलत पक्ष था और परिणामस्वरूप, जीप और बस टकरा गई। इस दुर्घटना से स्थल पर चार यात्रीजनों की मौत हो गई और छह यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसकी रेडिएटर और इंजन बोर्ड टूट गया और क्षतिग्रस्त हो गया और जीप के अंदर पूरी तरह से दबा दिया गया। टक्कर का प्रभाव इतना ऊंचा था कि जीप को लगभग 25 फीट पीछे धकेल दिया गया। बस का बम्पर भी दब गया। जीप के चालक को भी चोटें आईं। प्रतिवादी को अनुशासनिक जांच के लिए प्रस्तुत किया गया। जांच के समापन पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वह भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत अपराध के लिए भी अभियुक्त किया गया। हालांकि, वह बरी हो गए। (इसका निर्णय नीचे दिया जाएगा)। प्रतिवादी ने श्रम न्यायालय में बर्खास्ती के आदेश की चुनौती दी। श्रम न्यायालयने बर्खास्ती के आदेश को मान्यता दी। पुनरावलोकन प्रक्रिया में औद्योगिक अदालत ने प्रतिवादी के आपराधिक कार्यवली में बरी होने को देखते हुए और दोनों वाहनों के चालकों को लापरवाह मानते हुए (योगदानकरी लापरवाही), औद्योगिक अदालत ने महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन की पहचान और अन्यायिक श्रम प्रवृत्तियों को रोकने वाले अधिनियम, 1971 ("एमआरटीयू और पी.यू.एल.पी अधिनियम, 1971" संक्षेप में) के अनुसूची-IV के मद No.1(जी) के तहत माना कि बर्खास्ती का आदेश सिद्ध दुराचार के के लिए निकासी का आदेश असंतुलित है। औद्योगिक अदालत के सामने प्रतिवादी/मजदूर ने पीछले वेतन की मांग को प्रेस नहीं किया। औद्योगिक अदालत ने उसकी पुनर्नियुक्ति का निर्देश दिया, पीछले वेतन के बिना लेकिन सेवा की निरंतरता के साथ।

3. .औद्योगिक अदालत द्वारा पास किए गए आदेश दिनांक 31.07.2003 से असंतुष्ट और असहमत होकर, जिसमें पुनर्नियुक्ति का आदेश दिया गया था बिना पीछले वेतन के लेकिन सेवा की निरंतरता के साथ, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अयोग्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने न केवल अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज किया, बल्कि अपीलार्थी को 01.11.2003 से 31.05.2018 तक प्रतिवादी को पीछले वेतन देने का निर्देश दिया। i.e. जो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। उच्च न्यायालय ने भी निर्देशित किया है कि प्रतिवादी को निरंतर सेवा की आधार पर सेवानिवृत्ति के लाभ भी प्राप्त होंगे, जो उसकी बर्खास्तगी की तारीख से लेकर उसकी सेवानिवृत्ति तक है।

4. उच्च न्यायालय द्वारा पास की गई आलोचित निर्णय और आदेश से असंतुष्ट और असंतोषित होकर, जिसमें याचिका को खारिज किया गया और औद्योगिक न्यायिक परिषद द्वारा पास किए गए आदेश की पुष्टि की गई, जिसमें बर्खास्तगी के आदेश को अलग किया गया और पुनर्नियुक्ति का आदेश दिया गया था सेवा और पीछले वेतन के साथ संचालन, एमएसआरटीसीने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

5. अपीलकर्ता - एमएसआरटीसी की ओर से प्रतिष्ठित वकील श्रीमती मयूरी रघुवंशी ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया कि मामले की तथ्यों और परिस्थितियों में, औद्योगिक न्यायालय ने अनुशासनिक प्राधिकृत द्वारा पास किए गए बर्खास्ती के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए एक भारी गलती की है, क्योंकि यह सिद्ध दुराचार के अनुपात में आघातकरता रूप में असंतुलित है।

5.1 यह दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय दोनों ने अनुशासनिक जांच और आपराधिक प्रक्रिया के बीच के अंतर को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लिया और/या मूल्यांकन नहीं किया।

5.2 यह दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय ने आरोपी के आपराधिक मामले में दोषमुक्ति पर भरोसा करने में भूल की। यह दावा किया गया है कि औद्योगिक न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह समझने में विफल रहे हैं कि दोषमुक्ति का अनुशासनिक प्रक्रियाओं पर कोई प्रभाव या संबंध नहीं है क्योंकि दोनों मामलों में प्रमाण का मानक अलग है और प्रक्रियाएं अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करती हैं और अलग-अलग उद्देश्य हैं। इस न्यायालय के मामलों में निर्णयों पर भरोसा किया जाता है। **समर बहादुर सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य (2011) 9 SCC 94 : [2011] 11 SCR136; भारतीय संघ और अन्य बनाम सीताराम मिश्रा एवं अन्य (2019) 20 SCC 588 -**

5.3 इसके अलावा यह दावा किया गया है कि वास्तव में श्रम न्यायालय ने सही तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचाया कि आपराधिक मामले में दोषमुक्ति से प्रतिस्थापन के लिए उत्तराधिकारी की मदद नहीं की जा सकती, क्योंकि आपराधिक मामले में दोषमुक्ति जाँच अधिकारी, स्थल पंचनामा के लिए पंच को परीक्षण करने में प्रतिस्थापन की असफलता पर है, आदि, और उनका मामला संदेह के परिप्रेक्ष्य में साबित करना। यह दावा किया गया है कि दूसरी ओर विभागीय प्रक्रिया में अनुशासनात्मक अवहेलना साबित हो गई है। इसलिए दावा किया गया है कि औद्योगिक न्यायालय और उच्च न्यायालय को आपराधिक मामले में प्रतिस्थापन की दोषमुक्ति को अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिए था।

5.4 इसके अलावा यह दावा किया गया है कि वाहन दुर्घटना में जब चार लोग प्रतिस्थापन की लापरवाही और असावधानी से वाहन चलाने के कारण मारे गए और उसकी तीन वर्ष की सेवा में वह पहले चार बार सजा भुगत चुका था, तो नहीं कहा जा सकता कि बर्खास्तगी की सजा अत्यधिक असंतुलित थी। दावा किया गया है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, मामला एमआरटीयू और पल्प अधिनियम, 1971 की अनुसूची-आईवी के मद No.1(जी) में नहीं आएगा।

5.5 इसके अलावा यह और भी प्रस्तुत किया जाता है कि औद्योगिक अदालत ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि अनुशासनात्मक अवहेलना न तो मामूली और न ही तकनीकी प्रकृति की है। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि औद्योगिक अदालत ने भी निर्देश दिया कि यहाँ पीड़ितीकरण नहीं है और एमएसआरटीसी की कार्रवाई को अच्छी नियत में नहीं कहा जा सकता। औद्योगिक अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि एमएसआरटीसी ने न तो शिकायतकर्ता को झूठा फंसाया है और न ही - प्रतिवादी ना ही झूठे कारणों के लिए प्रतिवादी को बर्खास्त किया है और इसलिए प्रतिवादी ने एमआरटीयू और पल्प अधिनियम, 1971 के अनुसार अन्यायिक श्रम प्रथा को साबित करने में विफल रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि औद्योगिक अदालत ने एमआरटीयू और पल्प अधिनियम, 1971 की धारा 1(जी) को लागू करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकृत द्वारा लगाए गए दंड/बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप किया है।

5.6 इसे आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी ने भी माना कि उसकी बर्खास्तगी के बाद वह लाभप्रदता से रोजगार में था। इसलिए, पुनः प्रतिस्थापन का आदेश बिल्कुल भी उचित नहीं था।

5.7 अपीलकर्ता की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे विद्युत प्रतिनिधि द्वारा यह भी आगे प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी निर्णय और आदेश में पैरा 8 में अपीलकर्ता - एमएसआरटीसी को 1 नवंबर, 2003 से 31 मई, 2018 तक प्रतिस्थापन के रूप में पूर्व वेतन देने के निर्देश जारी करने वाला आदेश अपीलकर्ता - एमएसआरटीसी द्वारा दायर याचिका में जारी नहीं किया जा सकता था। इसलिए प्रस्तावित है कि ऐसा आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के दायरे से भी परिप्रेक्ष्य है।

6.. उपर्युक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, प्रार्थित है कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए।

7. श्री निशांत पाटिल, प्रतिस्थापित की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे वकील, औद्योगिक न्यायालय द्वारा पास किए गए निर्णय और आदेश का समर्थन करते हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट हो गया है।

7.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब औद्योगिक न्यायालय ने दुराचार के प्रमाणित होने पर निकासी के आदेश को असंतुलित पाया, तो इसे एमआरटीयू और पल्प अधिनियम, 1971 की अनुसूची-4 के मद 1(जी) के अनुसार अनुचित श्रम प्रयास कहा जा सकता है। इस प्रकार, औद्योगिक न्यायालय ने निकासी के आदेश में सही तरीके से हस्तक्षेप किया और उच्च न्यायालय द्वारा उसे सही तरीके से पुष्ट किया गया है।

7.2 तर्क किया जाता है कि वर्तमान मामले में वास्तव में यह प्रतिवादी - चालक की दोष नहीं था। जो जीप चालक विपरीत ओर से आ रहा था वह सड़क की गलत ओर पर था और प्रतिवादी ने दुर्घटना से बचने की कोशिश की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपराधिक न्यायालय ने पाया कि जीप चालक भी लापरवाह था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपराधिक न्यायालय ने प्रतिवादी - चालक को बरी कर दिया, औद्योगिक न्यायालय द्वारा पास किए गए निर्णय और आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, जिसमें पुनर्नियुक्ति का आदेश दिया गया है बिना पिछले वेतन के पर सेवा की निरंतरता के साथ। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने सही तरीके से औद्योगिक न्यायालय द्वारा पास किए गए निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, जिसमें पुनर्नियुक्ति का आदेश दिया गया था बिना पिछले वेतन के।

8. उपर्युक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को खारिज किया जाए।

9. हमने संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों से विस्तार से सुनवाई की है।

10. सबसे पहले, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में प्रतिवादी - चालक के खिलाफ वाहन को लापरवाही और असावधानी से चलाने की जिससे दुर्घटना हुई जिसमें चार व्यक्तियों की मौत हो गई, वह अवगुण यहां तक साबित हो चुका है। इसके बाद, अनुशासनिक प्राधिकृत ने बर्खास्तगी का आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी - श्रमिक को सेवा से निकाल दिया गया। श्रम न्यायालय ने आदेश का हस्तक्षेप नहीं किया और यह ठोस कारण देते हुए और पूरे सबूतों की पुनर्मूल्यांकन करते हुए आदेश का पालन किया, जिसमें

आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति आदेश भी शामिल है। हालांकि, औद्योगिक न्यायालय ने अनुशासनिक प्राधिकृत द्वारा साबित दुराचार पर दर्ज निष्कर्ष से हस्तक्षेप नहीं किया, केवल इस आधार पर निरसन आदेश में हस्तक्षेप किया कि बर्खास्तगी का आदेश पारित किया, दुराचार के अनुपात में असंतुलित है और इसे एमआरटीयू और पी.यू.एल.पी अधिनियमअधिनियम, 1971 की अनुसूची-IV के मद्देनजर अनुच्छेद 1(जी) के अनुसार अन्यायिक श्रम प्रथा कहा जा सकता है। इसे उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

10.1 इसलिए, इस अदालत के समक्ष उत्थित होने वाला संक्षेप में प्रश्न है कि क्या मामले की तथ्यों और परिस्थितियों में बर्खास्तगी का आदेश साबित दुराचार के अनुपात में असंतुलित होने के कारण अन्यायिक श्रम प्रथा माना जा सकता है और इसलिए औद्योगिक अदालत को बर्खास्तगी का आदेश में हस्तक्षेप करने और सेवा की की निरंतरता के साथ पुनर्नियुक्ति का आदेश देने में जोग्यता थी।

10.2 विभागीय जाँच में जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों, श्रम अदालत और औद्योगिक अदालत द्वारा पास किए गए निर्णय और फैसले को देखते हुए, और आपराधिक अदालत द्वारा पास किए गए दोषमुक्ति के निर्णय को भी देखते हुए, यह उजागर होता है कि जब प्रतिवादी वाहन चला रहा था, तो यह विपरीत दिशा से आ रही जीप से दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना में चार व्यक्ति मर गए थे। अभिलेखपर मौजूद सामग्री से यह उजागर होता है कि विपरीत दिशा से आने वाली जीप के साथ दुर्घटना का प्रभाव ऐसा था कि जीप को 25 फीट पीछे धकेल दिया गया था। उपरोक्त तथ्यों से यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी - श्रमिक वाहन को इतनी अधिक गति में और बेलगामी से चला रहा था जिससे दुर्घटना हुई थी जिसमें चार लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि धारा 279 और 304(a) के तहत मुकदमे में प्रतिवादी - चालक को दोषमुक्त करते हुए आपराधिक अदालत ने भी टिप्पणी की थी कि अभियोजन ने साबित नहीं किया कि घटना केवल प्रतिवादी - प्रतिवादी चालक की बेलगामी और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से ही हुई थी और किसी और की नहीं। इसलिए, सबसे अच्छा यह है कि यदि मान लिया जाए तो यही कहा जा सकता है कि यह एक योगदानकर्ता लापर्वाही का मामला हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिवादी - श्रमिक बिल्कुल भी लापर्वाह नहीं था। इसलिए, यह उसे दोष से मुक्त नहीं करता है।

10.3 औद्योगिक अदालत ने आरोपी के द्वारा आपराधिक अदालत से दोषमुक्त होने पर बहुत जोर दिया। हालांकि, जैसा कि श्रम अदालत ने आपराधिक अदालत द्वारा पास किए गए दोषमुक्ति के आदेश को विस्तार से देखा था और प्रतिवादी - श्रमिक के पक्ष में की गई

तर्क के साथ सहमत नहीं हुई कि चूंकि वह आपराधिक अदालत से दोषमुक्त हुआ था, वह अनुशासनिक कार्रवाई में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

10.4 आपराधिक अदालत द्वारा पास किए गए फैसले और आदेश से यह प्रतीत होता है कि आपराधिक अदालत ने साक्षियों की प्रतिरोधिता; हितधारक साक्षियों द्वारा प्रस्तुत सबूत; अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा में छूना; घटना की स्थल पंचनामा के लिए पंच, आदि पर आरोपी को दोषमुक्त किया। इसलिए, आपराधिक अदालत ने तय किया कि अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ मामले को परिपूर्ण रूप से साबित करने में विफल रही है। वही, अनुशासनिक कार्रवाई में यह प्रमाणित हुआ है कि वाहन को अव्यवस्थित और लापरवाही से चलाने की वजह से दुर्घटना हुई और जिसके कारण चार लोग मारे गए। विधि के मौलिक सिद्धांत के अनुसार, एक आपराधिक मुकदमे में दोषमुक्ति प्राप्त करना अनुशासनिक कार्रवाई पर किसी भी प्रकार का प्रभाव या संबंध नहीं डालता है क्योंकि दोनों मामलों में प्रमाण की मानक अलग हैं और प्रक्रिया अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करती है और अलग-अलग उद्देश्यों के साथ। इसलिए, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने आरोपी के आपराधिक अदालत द्वारा दोषमुक्त होने पर अधिक जोर देने में गलती की है। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अनुशासनिक प्राधिकृत द्वारा आरोप और अनुशासनिक जाँच में साबित होने वाली अनुचितता के निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप नहीं किया है, और सिर्फ इस आधार पर हस्तक्षेप किया है कि वह सजा अधिक अनुपात में है और इसलिए कहा जा सकता है कि यह अनुसूची-IV के अनुसार अनुचित श्रम प्रथा है एमआरटीयू और पी.यू.एल.पी अधिनियमअधिनियम, 1971 के खंड No.1(जी) के अनुसार।

10.5 अब, जितना विषय है एमआरटीयू और पी.यू.एल.पी अधिनियमअधिनियम, 1971 की अनुसूची-IV के खंड No.1(जी) को इस्तेमाल करते हुए औद्योगिक अदालत द्वारा सेवानिवृत्ति के साथ सेवा की साथीता के आदेश का, खंड No. 1(जी) के अनुसार सिर्फ उस स्थिति में जब पाया जाता है कि किसी कर्मचारी की निवृत्ति एक छोटे या तकनीकी प्रकृति की अवहेलना के लिए है, विशेष अवहेलना की प्रकृति या कर्मचारी की पिछली सेवा का अभिलेख ध्यान में न रखते हुए, इस तरह की यह एक आकस्मिक रूप से लगता है अनुपातहीन दंड हो। खंड No.1 की अनुसूची-IV एमआरटीयू और पी.यू.एल.पी अधिनियम, 1971 निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाती है:-

“ अनुसूची IV

1. कर्मचारियों को छोड़ने या नौकरी से निकालने के लिए-

. (a) प्रतिशोध के रूप मे

(b) सच्ची भावना के बिना, लेकिन नियोक्ता के अधिकारों के छद्म अभ्यास में;

(c) किसी कर्मचारी को झूठे सबूत या गढ़े हुए सबूत पर आपराधिक मामले में झूठमूठ में फंसाने के लिए;

(d) स्पष्ट रूप से झूठे कारणों के लिए;

(e) बिना अनुमति के अनुपस्थित होने के असत्य या बनाए गए आरोप के लिए;

(f) घरेलू जांच की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए या अत्यधिक जल्दी में;

(जी) मामूली या तकनीकी प्रकृति की दुराचार के लिए, बिना किसी विशेष दुराचार की प्रकृति या कर्मचारी की सेवा के पिछले अभिलेखको ध्यान में रखते हुए, जिससे यह एक चौंकाने वाली रूप में अनुपातहीन दंड हो।"

अनुसूची IV के अनुच्छेद 1(जी) को एमआरटीयू और पी.यू.एल.पी अधिनियम, 1971 के संदर्भ में लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिस्पर्धी की बर्खास्तगी मामूली या तकनीकी प्रकृति की दुराचार के लिए थी, दुराचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। प्रतिस्पर्धी - कर्मचारी को विशेष आरोप और विशेष दुराचार के लिए दोषी माना गया है। प्रतिस्पर्धी के सेवा का पिछला अभिलेखभी औद्योगिक न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं लिया गया है। प्रतिवादी - एमएसआरटीसीके मामले में, प्रतिस्पर्धी - कर्मचारी तीन साल तक सेवा में थे और तीन साल की सेवा की अवधि में उसे चार बार सजा दी गई थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिस्पर्धी की सेवा के पिछले अभिलेखको ध्यान में रखते हुए नौकरी से निकालने का आदेश था। इसलिए, मामले की तथ्य और परिस्थितियों में, औद्योगिक न्यायालय ने एमआरटीयू और पी.यू.एल.पी अधिनियम, 1971 की अनुसूची IV के अनुच्छेद 1(जी) को गलत तरीके से लागू किया।

11. अन्यथा भी जब विभागीय जाँच में विशेष रूप से पाया गया है कि चालक - प्रतिस्पर्धी की अव्यवस्थित और लापरवाह ड्राइविंग के कारण दुर्घटना हुई जिसमें चार लोग मारे गए, जब बर्खास्तगी की सजा दी जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह सजा अत्यधिक

अनुपात है। विभागीय प्रक्रियावली में हर पहलु को ध्यान में लिया गया है। पुनरावलोकन की लागत पर, यह देखा गया है कि औद्योगिक न्यायालय ने विभागीय प्रक्रियावली में जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया है। इसलिए, मामले की तथ्य और परिस्थितियों में, औद्योगिक न्यायालय ने गंभीर भूल की है और अनुशासनिक प्राधिकृत द्वारा पास किए गए बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए अपनी सीमा को पार किया है, जिसे श्रमिक न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

12. यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि औद्योगिक न्यायालय के सामने प्रतिस्पर्धी - श्रमिक - चालक ने स्वीकार किया कि बर्खास्तगी के

13. उच्च न्यायालय द्वारा आलोचित निर्णय और आदेश में पैरा 8 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी को 01.11.2003 से 31.05.2018 तक की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धी - श्रमिक को वेतन भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया था, वह भी अपीलार्थी द्वारा दायर की गई याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पास नहीं किया जा सकता था। यह श्रमिक - प्रतिस्पर्धी द्वारा दायर की गई याचिका नहीं थी। इसलिए, अन्यथा भी आलोचित निर्णय और आदेश के पैरा 8 में दिए गए दिशानिर्देश बनाए नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये उच्च न्यायालय के सामने के विवाद के दायरे और सीमा से परे हैं।

14. उपरोक्त और उपर्युक्त कारणों के मद्देनजर, वर्तमान अपील सफल होती है। औद्योगिक न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन आवेदन (यूएलपी) संख्या 13 का 2002 में पास किया गया निर्णय और आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 8401 का 2003 में पास किया गया आलोचित निर्णय और आदेश यहाँ पर रद्द और समाप्त किए जाते हैं और श्रम न्यायालय द्वारा शिकायत (यूएलपी) संख्या 96 का 1993 में पास किया गया निर्णय और पुरस्कार को पुनः स्थापित किया जाता है। इस प्रकार, अनुशासनिक प्राधिकृत द्वारा सेवा से प्रतिवादी - श्रमिक को बर्खास्त करने वाला आदेश यहाँ पर पुष्ट होता है। वर्तमान अपील उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल अपील स्वीकार की जाती है।

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित